प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.09.2025

साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 20000/- की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 19.09.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री कमलेश नि0 सै0 09 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 20000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 19.09.2025 को श्री कमलेश नि0 सै0 09 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 20000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 19.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद ।

आज दिनांक 19.09.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र फरीदनगर ग्राम नाहली ईदगाह से दतैडी जाने वाले रास्ते से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर के साथ अभियुक्त अलबदर उर्फ बादल पुत्र सलीम निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर उम्र करीब

20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। मैं यह तमंचा लेकर घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता-

अलबदर उर्फ बादल पुत्र सलीम निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.07.2025 को थाना वेवसिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अनिल पुत्र मुनेश निवासी ग्राम टुंडाखेड़ा थाना छतारी जनपद बुलंदशहर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेवसिटी पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा अपहर्ता को बरामद किया गया तथा अपहर्ता/पीडिता के धारा 181 व 183 बीएनएसएस के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त अनिल उपरोक्त के विरूद्ध धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 18.09.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनिल यादव पुत्र स्वर्गीय मुनेश यादव निवासी ग्राम टुंडा खेड़ा थाना छतारी जिला बुलंदशहर उम्र करीब 24 वर्ष को थाना वेवसिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादी की पुत्री से कई महीनों से बातचीत थी। दिनांक 26.07.2025 को मैं वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और मौका पाकर मैंने वादी की पुत्री के साथ शारीरिक संबध भी बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त अनिल यादव पुत्र स्वर्गीय मुनेश यादव निवासी ग्राम टुंडा खेड़ा थाना छतारी जिला बुलंदशहर उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

आज दिनांक 19.09.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र फरीदनगर ग्राम नाहली रेलवे अण्डरपास के पास से 01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त इमामुद्दीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा व कारतूस लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। मैं यह तमंचा अपने साथ लेकर जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता-

इमामुद्दीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.05.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस पर द्वारा बलवा करने के सम्बन्ध में 10 नामजद अभियुक्तगण व अज्ञात के विरूद्ध धारा 191(2)/191(3)/125 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थाना लोनी पुलिस द्वारा सम्पादित की जा रही है। उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त समीर पुत्र आबिद निवासी पुनीत एन्क्लेव पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

तत्पश्चात दिनांक 18.09.2025 को उपरोक्त बलवा व हत्या के प्रयास की घटना कारित करने वाला प्रकाश में आय़ा अभियुक्त समीर पुत्र आबिद निवासी पुनीत एन्क्लेव पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 05.05.2025 को हमारे परिवार व इकबाल के परिवार का किसी बात को लेकर झगडा हो गया था तो दोनो पक्षों से काफी संख्या में पुरूष व महिलाऐं आमने-सामने आकर ईद पत्थरों से वार करने लगे थे। जिसमें हमारे व दूसरे पक्षों के काफी चोटें आयी थी। हमारे मेडिकल भी थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा कराये गये थे। परन्तु हम दोनो पक्षो द्वारा पुलिस में पकडे जाने के डर से कोई तहरीर पुलिस को नही दी गयी थी। हमें बाद में जानकारी मिली थी कि ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हम दोनो पक्षो के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता-

समीर पुत्र आबिद निवासी पुनीत एन्क्लेव पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 10,000/- की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 19.09.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक मुनेश्वर त्यागी पुत्र जयकुमार त्यागी निवासी ग्राम तलहैटा, थाना भोजपुर, गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रु 10,000/- आवेदक को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक मुनेश्वर त्यागी उपरोक्त के साथ 10,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 19.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 10,000/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना भोजपुर।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 61,456/- की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 18.09.2025 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका आकृति निवासी D2 टावर सुपरटेक लिविंगस्टोन थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 61,456/- रु धनराशि आवेदिका को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका आकृति के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 18/09/2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 61,456/- रू की धनराशि को सहायक पुलिस आयुक्त, वेव सिटी (ग्रामीण जोन) कमिशनरेट गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया। आवेदिक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर पुलिस टीम , थाना क्रोसिंग रिपब्लिक।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 30,000/- की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 19.09.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक देवेन्द्र कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम ईशाकनगर फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रु 30,000/- आवेदक को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक देवेन्द्र कुमार उपरोक्त के साथ 30,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 19.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 30,000/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना भोजपुर।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 7000/- की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 19.09.2025 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक राधेश्याम निवासी बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 7000 /- रु धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक राधेश्याम

के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि के सम्बन्ध मे सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 19/09/2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 7000 /- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया । आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जनपद गाजियाबाद के 31 म्यूल बैंक खाताधारकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत, दो अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा NCRP पोर्टल पर उपलब्ध साइबर अपराध से सम्बन्धित आकड़ों से ज्ञात जनपद गाजियाबाद के कोटक महिन्द्रा बैंक के क्रमशः 347 बैंक खातों, जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड के द्वारा धनराशि प्राप्त करने में सीधे प्रथम लेयर में किया गया था, इनका सत्यापन किया गया । सत्यापन के उपरान्त 31 बैंक खातों को संदिग्ध पाया गया, इन बैंक सभी 31 बैंक खातों के खाताधारकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है । इन बैंक खातों के संचालन/खाता खोलने में की गई अनियमितता की जाँच सहायक पुलिस आयुक्त क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा की जा रही है ।

इन खाताधारकों द्वारा साइबर फ्रॉड कर पीड़ितों से पैसे प्राप्त किये गये हैं । NCRP पोर्टल में दर्ज इनसे सम्बन्धित शिकायतों का परिशीलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि इन खातों का प्रयोग UPI फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे साइबर अपराधों में किया गया है ।

इन खाता धारकों के विरूध्द NCRP पोर्टल पर उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर की डॉली, बलरामपुर के अंकित श्रीवास्तव, गाजियाबाद के रेनू लांबा, जालौन के राम कुँअर देवी, बरेली के प्रेमकुमार, तेलंगाना के संगारेड्डी के मोहम्मद अबरार, साइबराबाद के रूपेश आर नायर, तमिलनाडु के तिरुवरूर, अन्ना नगर के सरथ कुमार, राजस्थान के डीडवाना-कुचामन के मनोहर सिंह, ओडिशा के भुवनेश्वर के दिव्य लोचन नायक, महाराष्ट्र के बृहन मुंबई शहर की देविंदर कौर, यवतमाल के अनिल विठोबा तलमले, मध्य प्रदेश के जबलपुर के **कुणाल भारती**, मुरैना के ब्रजकिशोर शर्मा, केरल मलप्पुरम के शाना, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की शुवम पाल, धीरज सी, मैसूर के महाराजन, उत्तर कन्नड़ के गणपति भट, मंगलुरु शहर के वरुण करकेरा, लता मेनेज़ेस, गुजरात के अहमदाबाद की कुवर्शी, दिल्ली मयूर विहार\पूर्वी, द्वारिका के आशीष कुमार, उत्तर पूर्वी की रजिया खान, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सलमा यास्मीन तथा अंकित श्रीवास्तव, बिहार पटना के रौशन कुमार, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के भानुप्रकाश तथा गोवा की ग्रेसी परेरा ने शिकायत दर्ज कराई है ।

उपरोक्त पंजीकृत मुकदमे में गौतम बुद्ध नगर की सुश्री डॉली के साथ 1,00,300/- रुपये का टास्क फ्रॉड करने वाले प्रिन्स शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा निवासी ग्राम कमरुद्दीन नगर पोस्ट समाना थाना कपूरपुर जिला हापुड़ तथा आशीष राणा पुत्र स्व0 नेपाल सिंह निवासी ग्राम मतनावली थाना कपूरपुर जिला हापुड़ को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन तथा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के द्वारा 14 बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। इन खातों के विरुध्द हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में 15 शिकायतें दर्ज हैं, जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित को सूचित कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. प्रिन्स शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा निवासी ग्राम कमरुद्दीन नगर पोस्ट समाना थाना कपूरपुर जिला हापुड़, उम्र – 26 वर्ष, शिक्षा - BBA।
2. आशीष राणा पुत्र स्व0 नेपाल सिंह निवासी ग्राम मतनावली थाना कपूरपुर जिला हापुड़, उम्र – 22 वर्ष, शिक्षा – 12वीं।

गिरफ्तारी स्थान –

थाना क्षेत्र कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण –

2 मोबाइल फोन, अभिलेखीय साक्ष्य।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।